3:30 To 3:45P.M अपीलार्थी / आरोपी देशराज द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ।

अनावेदक शासन द्वारा श्री बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया है ।

अपीलार्थी / आरोपी देशराज के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा

439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सूना गया ।

आरोपी/आवेदक का कहना है कि उसके शारीरिक व प्राच्या रूप से अत्यधिक बीमार हो जाने के कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके और अपने अधिवक्ता को सूचना भी नहीं दे सका था । इस कारण उनके जमानत मुचलके निरस्त हुए हैं, वह जमानत की शर्तों का पालन करेगें, नियमित प्रतिभूति पर छोड़े जाने का निवेदन किया है । समर्थन में सतीश शर्मा का शपथपत्र पेश किया गया है ।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है उनके द्वारा जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया गया है, अतः उनका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक—24/02/2016 को अपीलार्थी/आरोपी देशराज के अनुपस्थित हो जाने से उनके जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर गिरफतारी वारण्ट से तलब किए जाने का आदेश दिया गया है।

इसके पश्चात दि0-09/01/2017 को आरोपी/आवेदक देशराज ने अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया, जिसे न्यायिक निरोध में लिया गया और जेल गोहद भेजा गया।

अपीलार्थी / आरोपी देशराज ने अपनी तबीयत खराब होने का आधार लिया है, एवं उसके समर्थन में कोई भी चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश नहीं है, जिससे उसका बीमार होने का लिया गया आधार मात्र औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है । अपीलार्थी / आरोपी देशराज को पूर्व में भी दस हजार रूपये की जमानत का लाभ दिया जा चुका है । प्रकरण अंतिम तर्क की स्टेज पर है, अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाद विचार अपीलार्थी / आरोपी देशराज की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र बाद विचार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । किन्तु आरोपी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण की कार्यवाही बिलंवित हुई है, इसलिये पूर्व जमानत मुचलके की राशि में से कुछ राशि जब्त की जाना उचित होगी।

ORDER SHEET

C.J.(E)

2

THE COURT

पी. सी. आय दितीय अपर संत्र न्यायाधीश गोहद, जिला-मिण्ड (म् प्र)

BAIT OF 2017 8 W

Date of order or roceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अतः जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 जा.फो. गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी / आरोपी देशराज के पूर्व प्रस्तुत मुचलके में से एक हजार रूपये राजसात की जाती हैं, शेष राशि माफ की जाती हैं एवं आवेदक / आरोपी देशराज की ओर से 20 हजार रूपये की सक्षम जमानत एवं 20 हजार का खंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे। आदेश की प्रति मूल अपीलीय प्रकरण में संलग्न की जावे। इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो। (पी.सी. आयं) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड	